

छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर,
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्र. 1720 / एफ-1-131/31/एस-2/2019,
प्रति,

अटल नगर, दिनांक 30/3/2021

मुख्य अभियंता,
महानदी गोदावरी कछार
जल संसाधन विभाग
रायपुर (छ.ग.)

विषय:- दुर्ग जिले के विकासखण्ड-धमधा की अकोली जलाशय का जीर्णोद्धार एवं नहर निर्माण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति।
संदर्भ :- प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग का पत्र क्रमांक-253/बो.प्र./प्रशा.स्वी./मगोक/2019/12396, दिनांक 28.09.2019

—00—

राज्य शासन एतद् द्वारा दुर्ग जिले के विकासखण्ड-धमधा की अकोली जलाशय का जीर्णोद्धार एवं नहर निर्माण कार्य हेतु लागत राशि रु. 668.78 लाख (रुपये छः करोड़ अड़सठ लाख अठहत्तर हजार) मात्र की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है।

2. योजना के जीर्णोद्धार एवं नहर लाईनिंग कार्य उपरांत अन्तर्गत रूपांकित सिंचाई में 570 हेक्टेयर कमी की पूर्ति तथा बचत जल से 67 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र सहित कुल 757 हेक्टेयर में सिंचाई सहित प्रस्तावित है।
3. कार्य विभाग नियमावली की कंडिका 2.006 के नीचे दिये गये नोट 3(बी) एवं 3(सी) के अनुसार योजना की तकनीकी स्वीकृति दी जाकर एवं अन्य अभीष्ट औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात निर्माण कार्य प्रारंभ किया जावे तथा कार्य पूर्ण होने के उपरांत योजना का पूर्णता प्रमाण-पत्र शासन को दिया जावे।
4. छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग-एक के नियम-10 के अनुसार मुख्य अभियंता का यह दायित्व है कि वे कार्य पर नियंत्रण रखें तथा उनके कार्यालय तथा अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा प्रशासकीय वित्तीय नियमों का पालन हो।
5. योजना पर व्यय बजट शीर्ष मांग संख्या-45 लघु सिंचाई निर्माण कार्य, 4702 लघु सिंचाई पर पूंजी परिव्यय, {101}-सतही जल, 0101 राज्य आयोजना (सामान्य) (3803) लघु एवं लघुत्तम सिंचाई योजनाएं #97 निर्माण कार्य, 003 बांध एवं नहर के अंतर्गत विकलनीय होगा।
6. वित्त विभाग द्वारा उनके जावक क्र.-1537/बजट-2/वित्त/चार/2021, दिनांक 30.03.2021 द्वारा सहमति प्रदान की गई है।
7. योजना का कार्य स्वीकृत राशि एवं निर्धारित समयावधि के अंतर्गत ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। लागत वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी।
8. निर्माण कार्य की लागत में मितव्ययता को सुनिश्चित किया जावे।
9. संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालन अभियंता निर्माण कार्य की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करें।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

[Signature]
30/03/2021
(प्रमोद सिंह धरेन्द्र)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग